न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 148 / 2024

अनवान : –

1. बगड़ावत पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. आत्माराम पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
2. दलीपसिंह पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
3. भानीराम पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
4. कृष्णलाल पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 05/08/2024

क्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 40 / 39 की कुल 4.2620 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायलान का गैरसायल से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। सायल ने अपने हक हिस्साा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है। सायल की अच्छी भूमि देखकर गैरसायलान के मन मे लालच आ गया है एवं गैरसायलान अजनबी क्रेतागण को वाद भूमि पर विभाजन से पहले काबिज करवाना चाहते है एवं अच्छी भूमि का बैचान करना चाहते है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जावे की जब तक खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 43 / 39 की कुल 4.2620 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 117 / 35 की कुल 4.6180 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त [illegible] के यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को ज[illegible] अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने [illegible] पेश कर जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की वाद भूमि संयुक्त्त वादी व प्रतिवादीगण [illegible] नाम संयुक्त खाता [illegible] राजस्व रिकार्ड है वर्षो पूर्व बंटवारा के अनुसार ही वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है तथा सींव व डोल को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

लेकर कोई विवाद नही है तथा रोही मौजा आपूवाला में चक प्लान का कार्य चल रहा है तथा रोही मौजा आपूवाल चक प्लान में चक 2 एपीडब्ल्यूएम में परिवर्तित व पैमूद होना है तथा चक प्लान में प0न0 60/1 से 60/9 तक रास्ता स्वकृत शुदा है सायल का मकसद उक्त प्रार्थना पत्र की आड़ में रास्ता रोकना है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 40/39 की कुल 4.2620 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने खाता व लगान अलग करवाने हेतु वाद पेश किया है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगणण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 21.06.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05/08/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:48 IST
Reason: SelfAttested